राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 624/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-CLC- मैनपुरी दिनांक– 3-10-17

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   मैनपुरी उ०प्र०।
2. **सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,**
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा
   मैनपुरी उ०प्र०।

विषयः– दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र (सी०एल०सी०) की आगामी द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक, डूडा मैनपुरी के पत्र सं0–359/डूडा/16–17/सीएलसी–द्वितीय किश्त दिनांक 23.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मैनपुरी हेतु स्वीकृत शहरी आजीविका केन्द्र की द्वितीय किश्त अवमुक्त हेतु अनुरोध के संबंध में है।

उक्त पत्र के माध्यम से डूडा मैनपुरी द्वारा शहरी आजीविका केन्द्र के उपयोगिता प्रमाण एवं प्रेषित अनुपालन आख्या के अनुक्रम में स्वीकृत एवं संचालित 01 सी०एल०सी० की द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत की धनराशि (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अर्न्तगत निम्नानुसार नीचे लिखी शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अवमुक्त किया जाता हैः–

क्र0 सं0	शहरी आजीविका केन्द्र स्थापित किये जाने का स्थल	प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त की गई धनराशि	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोग की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	शहरी आजीविका केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्र, आवास विकास कालोनी, मैनपुरी	10.00	3.00	3.00	4.00
	योग–	**10.00**	**3.00**	**3.00**	**4.00**

- सी०एल०सी० हेतु स्वीकृत धनराशि के उपभोग से पूर्व सी०एल०सी० केन्द्रों को आत्मनिर्भर बनाना अपरिहार्य होगा।
- स्वीकृत के समय दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सी०एल०सी० के व्यय हेतु किये गये प्राविधान के अनुरूप व्यय किया जाय तथा उक्त का परीक्षण भी नियमानुसार सी०एम०एम०यू०, डूडा द्वारा किया जायेगा। सी०एल०सी० में प्रारम्भ में 02 से अधिक मानव संसाधन रखने पर उसका व्यय सम्बिन्धित संस्था को अपने स्रोतों से व्यय करना होगा। सी०एम०एम०यू०, डूडा द्वारा किये गये प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

- सी0एल0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के सापेक्ष बाजार के अनुरुप निर्धारित दरों की बुकलेट भी तैयार करायी जाये, जिसमें समय–समय पर सम्बद्ध किये जाने वाले कामगारों के ट्रेड एवं बाजार के अनुरुप परिवर्तित दरों को अपडेट किया जायेगा।
- आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर सी0एल0सी0 संचालन हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आधार व्यवहारिक एवं बढ़ोत्तरी हेतु कार्य योजना तैयार कर सी0एल0सी0 संचालित किया जाये एवं तदनुसार नियमित अनुश्रवण भी कराया जाये।
- कामगारों में सी0एल0सी0 के प्रति विश्वास एवं अपनापन विकसित किये जाने हेतु कामगारों की समय–समय पर विधिवत बैठक कर कार्यवृत्त तैयार किया जाये।
- कामगारों का पंजीकरण करने के उपरान्त उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए आवश्यक है कि सकारात्मक प्रयास कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाये।
- सी0एल0सी0 को विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों द्वारा आउटसोर्स वाले कार्य मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में समन्वयन के माध्यम से दिलाया जाये ताकि सी0एल0सी0 शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध करा सके।
- सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर/वाइबिल बनाने हेतु नगर निकाय एवं अन्य सरकारी विभागों से बेहतर समन्वयन के माध्यम से कतिपय कार्य जैसे पार्कों का मेंटीनेंस, सफाई कार्य, डाटा इन्ट्री आदि कार्य लिया जाये।
- सी0एल0सी0 की सेवाओं हेतु एस0यू0एल0एम0 सूडा स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर का टोल फ्री न0–18001800155 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।
- सी0एल0सी0 स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दर्शित उपलब्धियों को पूर्ण किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जनपदीय अधिकारी का होगा।
- सी0एल0सी0 का बैंक में अलग से खोले गये खाते से लेन–देन बैंक खाते के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाये तथा आगामी किश्त की मांग के साथ उक्त का बैंक विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

इस प्रकार आपके शहर हेतु स्वीकृत सी0एल0सी0 का संचालन उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में कराते हुए सघन मानीटरिंग की जाये ताकि सरकारी धन का उपयोग योजना के उद्दश्यों की पूर्ति के परिपेक्ष्य में ही किया जाये तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वित्त नियंत्रक, सूडा को धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु।
3. परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी0एम0एम0यू0, डूडा मैनपुरी उ0प्र0।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक